

फार्म-3
नियम 33 देखिए
FORM 3
(See rule 33)
(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाय)
(Submit in Duplicate)

प्रमाणित फिल्म में किसी/कोई परिवर्तन /परिवर्तनों के बाबत चलचित्र प्रमाणन नियम 1983 के नियम 33 के अधीन रिपोर्ट।

Report under rule 33 of the Cinematograph Certification Rules 1983 regarding an alteration or alterations in a certified films

1. आवेदक का नाम

1. Name of the applicant :

2. फिल्म का नाम

2. Name of the film :

3. प्रमाणपत्र संख्या

प्रमाणपत्र तारीख

3. Certificate No.:

Certificate Date :

4. परिवर्तनों की विशिष्टियां

4. Particulars of alterations

रील संख्या Reel No.	दृश्य संख्या Scene No.	दृश्य/कथोपकथन/गीत लंबाई का विवरण Description of the scene/dialogue/song length	परिवर्तनों की लंबाई Length altered

In the case of video films, instead of length and number of reels, duration in minutes and number of cassettes may be given.

सही परिवर्तन और जिस रील/जिन रीलों में परिवर्तन आता है/आते हैं उसकी/उनकी लंबाई और संख्या विनिर्दिष्ट करें ।
Specify the exact alteration or alterations, length and the number of reel or reels in which the alteration or alterations occur or occurs.

रील संख्या Reel No.	दृश्य संख्या Scene No.	दृश्य/कथोपकथन/गीत लंबाई का विवरण Description of the scene/dialogue/song length	परिवर्तनों की लंबाई Length altered

सेवा में
अध्यक्ष, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड,
{प्रादेशिक अधिकारी, द्वारा}
To,
The Chairman, Central Board of Film Certification
(Through Regional Officer) :

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर की सभी विशिष्टियां हर प्रकार से सत्य है और फिल्म के प्रमाणन के पश्चात उसमें किए गए परिवर्तनों के पूरे वर्णन है।

I declare that the above particulars are true in every respect and are a full description of the alteration or alterations made in the film after its certification.

(दिनांक)Date :
(पता)Address:

Signature of the Applicant
Telephone No.: